संख्या-122/2026/आई/1472168/2026/001-23-2099(099)/247/2026

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2026**

विषयः- जनपद बुलन्दशहर में औरंगाबाद से अनामिका शुगर मिल, ग्राम जमालपुर, बबूपुर, असावर होते हुए हामिदपुर-सिकन्द्राबाद-कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-100) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1486नि0/116-01 नि0/2026-27, दिनांक 06.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बुलन्दशहर में औरंगाबाद से अनामिका शुगर मिल, ग्राम जमालपुर, बबूपुर, असावर होते हुए हामिदपुर-सिकन्द्राबाद-कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग सं**0-100)** तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य **(**लम्बाई **12.500** कि**0मी0)** की लागत रू**0 2397.77** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष **2026-27** में उक्त अनुमोदित लागत का **50** प्रतिशत अर्थात रू**0 1198.88** लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठानबे लाख अट्ठासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(14) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं / योजनाओं / निर्माण के अन्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्याकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लोक निर्माण अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50 (40) ईजी/08, दिनांक 12.09.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(20) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों / मानकों के अंतर्गत है।

(21) प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णतः सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) प्रस्तावित निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी। भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की होगी। अगर भविष्य में भूमि संबंधी कोई देयता सृजित होती है तो उसके लिये संबंधित अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार मानते हुये उनसे भू राजस्व की भाँति रिकवरी भी सुनिश्चित की जायेगी।

(23) प्रस्तावित कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अंतर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(24) प्रस्तावित परियोजनायें संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(25) परियोजनाओं को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना व तथा भविष्य में परियोजनाओं का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(26) परियोजनाओं के संबंध में मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) यूटिलिटी शिपिंटग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों के कियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & Revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्यों हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

(28) यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिपिंटग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिपिंटग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(29) विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिग हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(30) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(31) प्रायोजनाओं पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(32) समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(33) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं आदि को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं आदि को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(34) परियोजनाओं की पृथक-पृथक रूप से लागत का आंकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। अतः परियोजनाओं पर पृथक-पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(35) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्यों आदि का प्राविधान करना, मार्ग आदि की लम्बाई एवं चौडाई अथवा क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि के संबंध में विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(36) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यकम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(37) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी०ए०एल०ए० (Competent Authority for land Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(38) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु०-1). लो०नि०वि० व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं आदि के वेतन से भू-राजस्व की भाँति की जायेगी।

(39) समिति द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया कि अन्य जिला मार्ग / प्रमुख जिला मार्ग अथवा साधारण सडक निर्माण कार्यों में रोड सेफ्टी की लागत अत्यधिक रखी जा रही है जबकि इसके पूर्व ही विभागाध्यक्ष को रोड सेफ्टी लागत हेतु एक समिति गठित कर मानक निर्धारित किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अभी तक कोई मानक निर्धारण न किये जाने व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रोड सेफ्टी की लागत सामान्य रूप में रू0 2.00 लाख प्रति किमी० के अनुसार निर्धारित किये जाने व शहरी क्षेत्र के अन्दर सड़क निर्माण व कतिपय विशेष विशिष्टियां होने पर रोड सेफ्टी की लागत में यथोचित वृद्धि किये जाने का अभिमत स्थिर किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(40) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित कार्यों के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमों / मानकों / शासनादेशों इत्यादि का पूर्णतः अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबधित संगत सूचनाएं विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत हैं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, मुख्य अभियन्ता (मु०-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

(41) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों / संस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाये।

(42) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त कार्यों में बाधक 01 मी० व्यास (Diameter) से कम चौड़ाई के वृक्षों को अन्यत्र प्रत्यारोपित (Transplant) किया जायेगा। इसके लिए वन विभाग को कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 **1198.88** लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठानबे लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054033370900 औद्योगिक/ लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण का कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-272-X-2026-27-दिनांक:8-9-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
14- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in